# न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **352/12 (वाद)**

**GCMS No. : 2012/00031**

1. श्रीमती हरकुबाई पिता प्रथा पत्नी वेणीराम जाट निवासी श्रंगो का खेडा तह. रेलमगरा।
2. श्री दुदा पिता परथा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्रीमती वरजुबाई पिता प्रथा पत्नी बालुलाल जाट निवासी कांकरवा तह. मावली।

............वादीगण

**बनाम्**

1. श्री हरलाल पिता उंकार यादव निवासी खरताणा तह. मावली। **तर्क किया।**
2. श्री किशनलाल पिता गोकल यादव निवासी खरताणा तह. मावली के बजायः–

2/1 श्री हरीराम पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

2/2 श्री रतनलाल पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

2/3 श्री अर्जुनलाल पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

2/4 श्रीमती भगवतीबाई पत्नी किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

2/5 श्रीमती सज्जनदेवी पुत्री किशनलाल पत्नी जगदीश यादव निवासी भामाखेडा तह. रेलमगरा।

3. श्री लच्छीराम पिता दीपा यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

## वादअन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 22.04.2022**

1. वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– कि आराजी नम्बर 1959 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा राजस्व ग्राम खरताणा तह. मावली में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम पर अंकित है। उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.05 13:06:24 IST
Reason: SelfAttested

आराजी सेटलमेन्ट वर्ष 2012 खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी में वादीगण के स्वर्गीय पिता परथा पिता दोला जाट निवासी खरताणा के नाम पर अंकित थी। परथा जी का स्वर्गवास हो गया हैं। वादीगण उनके वारिस है। वादीगण का सजरा निम्न है :–

परथा (फौत)

| हरकुबाई (पुत्री) | दुदा (पुत्र) | वरजुबाई (पुत्री) |
|---|---|---|
| वादी सं. 1 | वादी सं. 2 | वादी सं. 3 |

2. आराजी संख्या 1959 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के सेटलमेन्ट के पुराने नम्बर आराजी संख्या 820 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था और स्व. परथा पिता दौला जाट निवासी खरताणा के नाम पर अंकित था। सेटलमेन्ट वालों ने उक्त नम्बर उंकार गोकल पिता दोला, दीपा पिता हीरा यादव साकिन दे हके नाम पर अंकित कर दी और वादीगण के पिता परथा पिता दोला जी का नाम हटा दिया जिसे हटाने का उन्हे कोई अधिकार नहीं था इसलिये वादीगण उक्त आराजी पुनः अपने नाम अंकित कराने के अधिकारी है। उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में है और प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं हैं।
3. उंकार का स्वर्गवास हो चुका है और उसका एकमात्र वारिस पुत्र प्रतिवादी सं. 1 हरलाल है व गोकल का भी स्वर्गवास हो चुका है उसका वारिस किशनलाल पिता गोकल प्रतिवादी सं. 2 हैं। दिपा पिता हीरा का स्वर्गवास हो चुका है उसका वारिस पुत्र प्रतिवादी सं. 3 लच्छीराम पिता दीपा हैं। राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्टवालों ने प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम गलत अंकर कर दिया है इसलिए वादीगण आराजी संख्या 1959 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को पुनः अपने नाम पर अंकन कराने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार वादीगण घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 1959 को वादीगण के नाम पर अंकित कराने के लिए दिनांक 05.11.2012 को कहा परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये हैं।
4. वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 05.11.2012 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को [illegible] पुनः वादीगण के नाम दर्ज करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो ग[illegible] उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.05 13:06:24 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण को समान हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं इसी हिस्सेनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे एवं प्रतिवादीगण के नाम हटाये जावें। अन्य सहायता जिसे वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हो वो प्रदान की जावें।

6. अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, मिलान खसरा प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट विभाग की बन्दोबस्त खतौनी सम्वत् 2015 प्रदर्श 3 पेश किये।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

8. वादी द्वारा वाद के समर्थन में गवाह साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री दूदा, पीडब्ल्यू 2 श्री वेणीराम, पीडब्ल्यू 3 श्री खेमराज के पेश किये।

9. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के मौरूस प्रता पिता दौला जाट के नाम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 में दर्ज थी। उक्त आराजी नम्बर 1959 के पुराने साबिक आराजी नम्बर 820 होकर स्व. प्रता वल्द दौला जाट के नाम सम्वत् 2015 में दर्ज थी, जो दस्तावेज प्रदर्श 3ए हैं। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 में उंकार पिता दौला, दीपा पिता हीरा यादव के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके दस्तावेज प्रदर्श 2ए हैं। वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 1ए हैं।

11. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पूर्व में परथा पिता दौला के नाम दर्ज थी जो सेटलमेन्ट के दौरान सम्वत् 2017–2020 की जमाबन्दी में परथा पिता दौला जाट के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न हैं। अन्य जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 में भी उक्त भूमि परथा पिता दौला जाट के नाम दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त आराजीयात की सम्वत् [illegible] के खसरा मिलान पत्रक के आधार पर सेटलमेन्ट विभाग ने सम्वत् 2030 में [illegible] की गई बेसिक जमाबन्दी में हाल आराजी नम्बर 1959 जिसके साबिक आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.05 13:06:24 IST
Reason: Self Attested

बिस्वा प्रतिवादीगण हरलाल पिता उंकार, गोकल पिता दौला, लच्छीराम पिता दीपा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी, जिसे की वादीगण अपने नाम घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में सेटलमेन्ट द्वारा बिना किसी आधार पर सेहवन से वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड से हटा दिया है।

12. प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/5 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री दूदा, पीडब्ल्यू 2 श्री वेणीराम, पीडब्ल्यू 3 श्री खेमराज के पेश किये, जिसमें सभी गवाहो ने मौके पर वादीगण का ही कब्जा बताकर वादीगण के आधिपत्य में चली आने का कथन किया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से वादीगण के वाद का खण्डन नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की हैं। अतः परथा पिता दौला जाट के नाम दर्ज भूमि जो सेहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है, उसे पुनः वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा के आराजी नम्बर 1959 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.05 13:06:24 IST
Reason: SelfAttested

**(श्रवण सिंह राठौड)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

# मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली**

**बईजलास श्रवण सिंह राठौड, आर.ए.एस.**

उनवान्

1. श्रीमती हरकुबाई पिता प्रथा पत्नी वेणीराम जाट निवासी श्रंगो का खेडा तह. रेलमगरा।
2. श्री दुदा पिता परथा जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्रीमती वरजुबाई पिता प्रथा पत्नी बालुलाल जाट निवासी कांकरवा तह. मावली।

............वादीगण

**बनाम्**

1. श्री हरलाल पिता उंकार यादव निवासी खरताणा तह. मावली। **तर्क किया।**
2. श्री किशनलाल पिता गोकल यादव निवासी खरताणा तह. मावली के बजायः–

2/1 श्री हरीराम पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
2/2 श्री रतनलाल पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
2/3 श्री अर्जुनलाल पिता किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
2/4 श्रीमती भगवतीबाई पत्नी किशनलाल यादव निवासी खरताणा तह. मावली।
2/5 श्रीमती सज्जनदेवी पुत्री किशनलाल पत्नी जगदीश यादव निवासी भामाखेडा तह. रेलमगरा।

3. श्री लच्छीराम पिता दीपा यादव निवासी खरताणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 352/12 (वाद) GCMS No. : 2012/00031

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रवण सिंह राठौड R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा के आराजी नम्बर 1959 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.04.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.05.05 13:06:25 IST
Reason: SelfAttested

**(श्रवण सिंह राठौड)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**